रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2002/चैत्र 22, 1924

No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2002/CHAITRA 22, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002

सं. 38/2002-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 279(अ).—महानिदेशक (रक्षोपाय) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2907.11 के अंतर्गत आने वाले फिनॉल के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 20 जून, 2001 मे प्रकाशित 16 मई, 2001 के पुर्नविलोकन में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि फिनॉल के घरेलू उत्पादक फिनॉल के आयात से लगातार गंभीर हानि का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी पुनः संरचनात्मक योजना को तात्विक रूप से पूरा करने के लिए दो वर्ष की और अवधि की अपेक्षा होगी और यह लोकहित में होगा कि भारत मे फिनॉल के आयात पर दो वर्ष की और अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित रखा जाये;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने महानिदेशक रक्षोपाय के पूर्वोक्त पुर्नविलोकन में अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 73/2001-सीमाशुल्क, तारीख 28 जून, 2001 [सा0का0नि0 488 (अ), तारीख 28 जून, 2001] द्वारा फिनॉल पर रक्षोपाय शुल्क 29 जून, 2003 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, अधिरोपित किया है;

और महानिदेशक (रक्षोपाय) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 21 जनवरी, 2002 में प्रकाशित 11 दिसम्बर, 2001 के पुर्नविलोकन में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अप्रैल-सितम्बर 2001 के दौरान मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भारत में फिनॉल का आयात 3 प्रतिशत या इससे अधिक रहा है तथा यह संस्तुति किया कि मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भारत में फिनॉल के आयात पर उदग्रहणीय रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित हो;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (क्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 18 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुर्नविनलोकन में पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 73/2001-सीमाशुल्क, तारीख 28 जून, 2001 में, ऐसे संशोधन से पूर्व उन बातों के सिवाय जो किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 में खंड ख के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" (ख) मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भिन्न, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खंड क के अधीन विकासशील देशों के रूप में अधिसूचित देशों से ," ।

[फा. सं. 354/79/99-टी.आर.यू. (भाग- II)]
जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2002

No. 38/2002-CUSTOMS

G.S.R. 279(E).— WHEREAS in the matter of import of Phenol, falling under sub-heading 2907.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Director General (Safeguards) *vide* its final findings in review, dated the 16th May, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th June, 2001 had come to the conclusion that the domestic producers of Phenol are facing a continued threat of serious injury from imports of Phenol and they would require a further period of two years to substantially complete their restructuring plan and it would be in the public interest to continue safeguard duty for a further period of two years on imports of Phenol into India;

AND WHEREAS after considering the aforesaid final findings in review, the Central Government has imposed safeguard duty on Phenol *vide* notification No. 73/2001-Customs, dated the 28th June, 2001, [GSR 488(E), dated the 28th June, 2001] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th June, 2001, upto and inclusive of the 29th day of June, 2003;

AND WHEREAS the Director General (Safeguards) *vide* its final findings in review, dated the 11th December, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st January, 2002 has come to the conclusion that the share of imports of Phenol into India from Malaysia, South Africa and Singapore during the period April-September, 2001 has been 3% or more and recommended that imports of Phenol into India from Malaysia, South Africa and Singapore be subjected to safeguard duty leviable thereon;

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the said Customs Tariff Act, read with sub-section (6) thereof and rule 18 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the aforesaid final findings in review, hereby makes the following amendment in the said notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 73/2001-Customs, dated the 28th June, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely :–

In the said notification, in paragraph 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

" (b) from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the said Customs Tariff Act, other than Malaysia, South Africa and Singapore." .

[F No 354/79/99-TRU (Pt-II)]

G. D LOHANI. Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002

सं. 39/2002-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 280(अ).—महानिदेशक (रक्षोपाय) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2914.11 के अंतर्गत आने वाले ऐसीटोन के आयात के मामले मे, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) तारीख 4 नवम्बर, 1999 में प्रकाशित 7 अक्तूबर, 1999 के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि भारत में ऐसीटोन के वृर्धित आयात से ऐसीटोन के घरेलू उत्पादको को गंभीर हानि होने का भय है और यह लोकहित में होगा कि भारत में ऐसीटोन के आयातों पर दो वर्ष और छह मास की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाये;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने महानिदशक रक्षोपाय के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) तारीख 27 जनवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 7/2000-सीमाशुल्क, तारीख 27 जनवरी, 2000 [सा0का0नि0 68 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2000] द्वारा ऐसीटोन पर रक्षोपाय शुल्क 26 जुलाई, 2002 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, अधिरोपित किया है;

और महानिदेशक (रक्षोपाय) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 8 फरवरी, 2002 मे प्रकाशित 4 फरवरी, 2002 के पुर्नविलोकन में अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुचे हैं कि अप्रैल-अक्तूबर, 2001 के दौरान दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भारत मे ऐसीटोन का आयात 3 प्रतिशत या इससे अधिक रहा है तथा यह संस्तुति किया कि दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भारत में ऐसीटोन के आयात पर उदग्रहणीय रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित हो,

अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 18 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए पुर्नविनलोकन मे पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 7/2000-सीमाशुल्क, तारीख 27 जनवरी, 2000 मे, ऐसे संशोधन से पूर्व उन बातो के सिवाय जो किया गया हो या करने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित सशोधन करती है अर्थातः-

उक्त अधिसूचना मे पैराग्राफ 2 मे खंड ख के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

" (ख) दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से भिन्न, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) के खड क के अधीन विकासशील देशो के रूप मे अधिसूचित देशो से ," ।

[फा. सं. 354/171/99-टी.आर.यू]
जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2002

No. 39/2002-CUSTOMS

G.S.R. 280(E).— WHEREAS in the matter of import of Acetone, falling under sub-heading 2914.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Director General (Safeguards) *vide* its final findings, dated the 7th October, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th November, 1999, dated the 4th November, 1999 had come to the conclusion that increased imports of Acetone into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Acetone and it would be in the public interest to impose safeguard duty for a period of two years and six months on imports of Acetone into India;

AND WHEREAS after considering the aforesaid final findings, the Central Government has imposed safeguard duty on Acetone *vide* notification No. 7/2000-Customs, dated the 27th January, 2000, [G.S.R. 68(E), dated the 27th January, 2000] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th January, 2000, upto and inclusive of the 26th day of July, 2002;

AND WHEREAS the Director General (Safeguards) *vide* its final findings in review, dated the 4th February, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th February, 2002 has come to the conclusion that the share of imports of Acetone into India from South Africa and Singapore during the period April-October, 2001 has been 3% or more and recommended that imports of Acetone into India from South Africa and Singapore be subjected to safeguard duty leviable thereon;

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the said Customs Tariff Act, read with sub-section (6) thereof and rule 18 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the aforesaid final findings in review, hereby makes the following amendment in the said notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 7/2000-Customs, dated the 27th January, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely :–

In the said notification, in paragraph 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

" (b) from countries notified as developing countries under clause (a) of sub-section (6) of section 8B of the said Customs Tariff Act, other than South Africa and Singapore." .

[F No 354/171/99-TRU]
G D. LOHANI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002

सं. 40/2002-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 281(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 37/96-सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि. सं. 289(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996] को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल और उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को, जब उसका नेपाल से भारत में आयात किया जाए,-

(क) उक्त अधिनियम की उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से ; और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण विशेष अतिरिक्त शुल्क से

उन शर्तों का, यदि कोई हों, जो इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी संख्या, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित हैं, के अध्यधीन रहते हुए छूट देती है :

परन्तु यह कि विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट वनस्पति, एक्रीलिक सूत और तांबे की वाइंडिंग/रोधक तारों के आयात की दशा में लागू नहीं होगी ।

सारणी

क्र.सं.	माल का वर्णन	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)
1.	(i) कृषि, उद्यान-कृषि और वन उत्पाद और खनिज जिनका कोई प्रसंस्करण नहीं किया गया है ; (ii) चावल, दालें और आटा ; (iii) काष्ठ ; (iv) जागरी (गुड़ और शक्कर) ; (v) पशु, पक्षी और मछली ; (vi) मधुमक्खी, मधु मोम और शहद ; (vii) कच्चा ऊन, बकरे के रोम और हड्डियां, जो अस्थि अवचूर्ण के विनिर्माण में प्रयुक्त की गई हैं ; (viii) दुग्ध, दुग्ध और अंडों के गृह निर्मित उत्पाद ; (ix) घानी-उत्पादित तेल और खली ; (x) आयुर्वेदिक और हरबल औषधियां ; (xi) ग्रामीण शिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं जो मुख्य रूप से ग्रामों में प्रयुक्त होती हैं ; (xii) याक तेल ; (xiii) अकरा ।	1
2.	निम्नलिखित से भिन्न सभी विनिर्मित माल :– (i) ऐल्कोहलिक लिकर या पेय और उनके सान्द्र, बियर और औद्योगिक स्प्रिट से भिन्न ; (ii) गैर-नेपाली या गैर -भारतीय ब्राण्ड नामों सहित इत्र और प्रसाधन सामग्री ; (iii) सिगरेट और तम्बाकू ; (iv) वनस्पति वसा (वनस्पति) ; (v) एक्रीलिक सूत ; (vi) उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 74 और शीर्ष 85.44 के अंतर्गत आने वाला तांबा उत्पाद ; और (vii) जस्ता आक्साइड ।	2

3.	(i)	वनस्पति वसा (वनस्पति) ;	2 और 3
	(ii)	एक्रीलिक सूत ;	
	(iii)	उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 74 और शीर्ष 85.44 के अंतर्गत आने वाला तांबा उत्पाद ; और	
	(iv)	जस्ता आक्साइड ।	

उपाबंध

शर्त सं0	शर्त
1.	यदि माल पूर्णतः नेपाल में उत्पादित किया जाता है ।
2.	अ. (1) नेपाल में, माल का विनिर्माण पूर्णतः नेपाली सामग्रियों या भारतीय सामग्रियों या नेपाली और भारतीय सामग्रियों से किया जाता है ; या 2) माल, जिसमें नेपाल में विनिर्माणकारी प्रक्रिया अंतर्वलित है, जो सुमेलित वस्तु वर्णन और संहिताकरण प्रणाली के चार अंक स्तर पर वर्गीकरण में परिवर्तन लाती है, उनमे भिन्न है, जिसमें ऐसे माल के विनिर्माण में सभी तीसरे देश की मल सामग्री को प्रयुक्त किया जाता है, वर्गीकृत हैं और विनिर्माणकारी प्रक्रिया नीचे उदाहरणस्वरूप सूची में यथा उपदर्शित अपर्याप्त कार्यकरण या प्रक्रिया तक सीमित नहीं है : (i) परिवहन और भंडारण (उदाहरणार्थ संवातन, विस्तारण, निकालने, द्रुतशीतन, लवण, सल्फर डाई आक्साइड या अन्य जल वाष्प, धोलों में रखने, क्षतिग्रस्त पुर्जों का हटाने और वैसी ही संक्रियाएं) के दौरान वस्तुओं का अच्छी दशा में संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संक्रियाएं ; (ii) धूल हटाने, सिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, विचालन या स्क्रीनिंग, छंटाई, वर्गीकरण, मिलाने (जिसके अंतर्गत सैट बनाना भी है), धुलाई, पेंटिंग, कर्तन करने के सामंजस्य की संक्रियाएं ; (iii) पारेषणों की पैकिंग, परिवर्तन और निःसमंजन और समंजन ; (iv) स्लाइसिंग, कर्तन, स्लिटिंग, पुनर्पैकिंग, बोतलों या फ्लास्कों या थैलों या बाक्सों या आधानों में रखना, गत्ता या बोर्डों आदि में स्थिर करना और सभी अन्य पैकिंग या पुनर्पैकिंग संक्रियाएं ; (v) वस्तुओं या उनके पैकेजिंग पर चिह्न लेबल या अन्य उसी प्रकार के सुभिन्नकारी चिह्न लगाना ; (vi) वस्तुओं का सम्मिश्रण , जो विभिन्न किस्मों की हों या नहीं, जहां मिश्रण के एक या अधिक संघठक हिज मेजेस्टी की नेपाल की सरकार और भारत सरकार के बीच व्यापार संधि के अनुच्छेद V के प्रोटोकाल के पैरा 1 (ख) में अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं , जिससे की उन्हें नेपाल में विनिर्मित या उत्पादित या बनाए गए रूप में समझे जाने के लिए समर्थ बनाया जा सके ; (vii) एक संपूर्ण वस्तु गठित करने के लिए किसी वस्तु के पुर्जों का समंजन ; (viii) ऊपर (i) से (vii) में विनिर्दिष्ट दो या अधिक संक्रियाओं का समुच्चय

आ. आयातकर्ता, पारेषण के संबंध में, यथास्थिति, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त के समाधानप्रद रूप में हिज मजेस्टी की नेपाल की सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित नीचे उपदर्शित प्ररूप में उद्भव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसे माल का वास्तव में नेपाल में विनिर्माण किया गया है ।

उद्भव संबंधी प्रमाणपत्र का प्ररूप

नेपाल की हिज मजेस्टी की सरकार और भारत सरकार के बीच व्यापार संधि के अधीन निर्यात के लिए सीमा शुल्क दिए बिना उद्भव प्रमाणपत्र

संदर्भ सं0.....

1. वस्तुएं पारेषित करने वाला (निर्यातकर्ता कारोबारी का नाम, पता) :

2. वस्तुए पारेषित की गई (पारेषिती का नाम और पता) :

3.परिवहन का माध्यम और मार्ग :

4. मद संख्या (एच एस टैरिफ लाइन) :

5. चिन्ह और पैकेजों की संख्या :

6. वस्तुओं का वर्णन :

7. सकल भार या अन्य मात्रा :

8. बीजक की संख्या और तारीख, मूल्य सहित :

9. नेपाल में विनिर्मिति वस्तुओं की कारखाने के द्वार की कीमत*

* 'कारखाने के द्वार की कीमत' से अभिप्रेत है कारखाने के द्वार से निकासी के समय पर उत्पाद की कीमत ।

10. (i) क्या वस्तुएं व्यापार संधि के अनुच्छेद V के प्रोटोकॉल के पैरा 1(क) के अधीन नेपाल में विनिर्मित की गई हैं

(हां/नहीं) :

(ii) यदि वस्तुए व्यापार संधि के अनुच्छेद V के प्रोटोकाल के पैरा 1 (ख) (i) और (ii) के अधीन नेपाल में विनिर्मित की गई हैं :

(क) नेपाल में प्रवेश के स्थान पर गैर संविदाकारी पक्षकारों (अर्थात् नेपाल और भारत से भिन्न) से मूल रूप से उत्पादित, सामग्री, भाग या उत्पाद का लागत-बीमा-भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य :-

(ख) अनअवधारित मूल की सामग्री, भाग या उत्पाद का मूल्य :-

11. स्तंभ 10 (ii) (क)और (ख) के मूल्य से स्तंभ 9 मूल्य के मूल्य की रकम की प्रतिशता :

12. निर्यातकर्ता द्वारा घोषणा :

अधोहस्ताक्षरकर्ता यह घोषणा करता है कि उपरोक्त दिए गए ब्यौरे सही हैं कि वस्तुएं नेपाल में उत्पादित की गई हैं और यह कि वे हिज मेजेस्टी की नेपाल की सरकार और भारत सरकार के बीच

व्यापार संधि में विनिर्दिष्ट मूल्य के नियमों के अनुरूप हैं ।

_____

(स्थान और तारीख, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

13. प्रमाणीकरण :

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें निर्दिष्ट वस्तुएं हिज मैजेस्टी की नेपाल की सरकार और भारत सरकार के बीच व्यापार संधि के उपबंधों के अनुसार अधिमानी माने जाने के लिए पात्र हैं । यह और प्रमाणित किया जाता है कि :

1. वस्तुएं मैसर्स ____ (कंपनी का नाम) द्वारा _____ (स्थान/जिला का नाम)में स्थित कारखाने में नेपाल में विनिर्मित की गई हैं ।

2. वस्तुओं का नेपाल में विनिर्माण हुआ है जिसमें उनके क्रियाकलाप सम्मिलित हैं और यह कि विनिर्माण क्रियाकलाप व्यापार संधि के अनुच्छेद V के प्रोटोकाल में दिए गए मानदंड को पूरा करते हैं ।

3. प्रश्नगत वस्तुएं तीसरे देश के मूल के उत्पाद नहीं हैं । **

कृते नेपाल की हिज मेजेस्टी सरकार

(स्थान और तारीख, प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

** उपरोक्त मद सं0 3 के प्रयोजन के लिए ऐसी वस्तुएं जिनकी विनिर्माण प्रक्रिया जो संधि के अनुच्छेद V के प्रोटोकाल में परिभाषित है नेपाल में की गई हैं तीसरे देश के मूल का उत्पाद नहीं समझी जाएंगी ।

14. भारतीय सीमाशुल्क के कार्यालय उपयोग के लिए :

परेषण की जांच कर ली गई है और जैसा कि वह नेपाल की हिज मैजेस्टी सरकार और भारत सरकार के बीच व्यापार संधि के अनुच्छेद V के अधीन यथा अनुबद्ध उपबंधों के अनुरूप हैं भारत में निर्यात किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई हैं

_____

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख

स्थान

ग ऐसे उत्पाद जो कर्मित या प्रसंस्कृत हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत या नेपाल से भिन्न देशों में मूल रूप से उत्पादित या अनअवधारित मूल की प्रयुक्त सामग्री , भाग या उत्पाद का कुल मूल्य जो ;-

(i) 6 मार्च, 2002 से प्रारंभ होने वाली और 5 मार्च , 2003 को समाप्त होने वाली समय अवधि में आयातित वस्तुओं के कारखाने के द्वार की कीमत का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है ; और

(ii) किसी पश्चातवर्ती समय अवधि जो दिए गए कैलेंडर वर्ष में 6 मार्च, को प्रारंभ होती है और पश्चातवर्ती कैलेंडर वर्ष की 5 मार्च को समाप्त होती है पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है ; और

(iii) विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया नेपाल में सम्पादित की जाती है ।

	स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए भारत या नेपाल से भिन्न देशों से मूल रूप में उत्पादित सामग्री, भाग या उत्पाद का मूल्य नेपाल में प्रवेश के स्थान पर सामग्री , भाग या उत्पाद के आयात के समय पर सीआईएफ मूल्य होगा , जहां यह सहायक सोमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त के समाधान प्रद रूप में साबित हो सकता है या नेपाल में जहां अनअवधारित मूल की सामग्री , भाग या उत्पाद का क्रमण या प्रसंस्करण होता है के लिए पहले से सुनिश्चित संदत्त कीमत हो सकती है ।
3.	क छूट केवल निम्नलिखित से अनधिक आयातों की विनिर्दिष्ट मात्रा को लागू होगी i) वनस्पति वसा (वनस्पति) की दशा में 100,000 मिट्रिक टन ; ii) एक्रेलिक सूत की दशा में 10,000 मीट्रिक टन ; iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 74 और शीर्ष 85.44 के अंतर्गत आने वाले तांबा उत्पादों की दशा में 75,000 मीट्रिक टन ; और iv) किसी समय अवधि में जो दिए गए कैलेंडर वर्ष के 6 मार्च से प्रारंभ होगी और पश्चातवर्ती कैलेंडर वर्ष की 5 मार्च को समाप्त होगी, जिंक ऑक्साइड की दशा में 2,500 मीट्रिक टन । दृष्टांत : प्रथम समय अवधि 6 मार्च, 2002 को प्रारंभ होगी और 5 मार्च, 2003 को समाप्त होगी ख आयात काकरभित्ता/नक्सलबाड़ी, बिरतनगर/जोगवानी, वीरगंज/रक्सोल, भैरवाहा /नौटंवा, नेपालगंज/नेपालगंज रोड और महेन्द्रनगर /बनबसा स्थित केवल भूमि सीमाशुल्क केन्द्र के माध्यम से अनुज्ञात किए जाएंगे । ग निर्यातकर्ता समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. यह अधिसूचना 16 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 552/25/2002-एलमी (भाग)]
विवेक प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2002

No. 40/2002-CUSTOMS

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the said Act) read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance(Department of Revenue) No. 37/96-Customs, dated the 23rd July 1996 , [G.S. R. 289 (E) dated the 23rd July, 1996] , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column(2) of the Table below and falling within the First Schedule to the said Act, when imported into India from Nepal, -

(a) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule to the said Act, and

(b) from the whole of the special additional duty leviable thereon under section 3A of the said Act ,

subject to the conditions, if any, specified in the Annexure to this notification, the Condition No. of which is mentioned in the corresponding entry in column(3) of the said Table.

Provided that the exemption from special additional duty shall not be applicable in case of imports of vanaspati, acrylic yarn and winding/insulated wires of copper.

TABLE

S.No	Description of goods	Condition No.
(1)	(2)	(3)
1.	(i) Agricultural, horticultural and forest produce and minerals which have not undergone any processing; (ii) Rice, pulses and flour; (iii) Timber; (iv) Jaggery (gur and shakkar); (v) Animals, birds and fish; (vi) Bees, bees-wax and honey; (vii) Raw wool, goat hair and bones as are used in the manufacture of bone-meal; (viii) Milk, home-made products of milk and eggs; (ix) Ghani-produced oil and oil-cakes; (x) Ayurvedic and herbal medicines; (xi) Articles produced by village artisans as are mainly used in villages; (xii) Yak tail; (xiii) Akra.	1
2.	All manufactured goods other than the following: - (i) Alcoholic Liquors or beverages and their concentrates, other than beer and Industrial spirits; (ii) Perfumes and cosmetics with non-Nepalese or non-Indian brand names; (iii) Cigarettes and Tobacco; (iv) Vegetable fats (Vanaspati); (v) Acrylic Yarn;	2

	(vi) Copper products falling under Chapter 74 and heading 85.44 of the First Schedule to the said Act , and (vii) Zinc Oxide .	
3.	(i) Vegetable fats (Vanaspati); (ii) Acrylic Yarn; (iii) Copper products falling under Chapter 74 and heading 85.44 of the First Schedule to the said Act, and (iv) Zinc Oxide.	2 and 3

ANNEXURE

Condition No	Condition
1.	If the goods are wholly produced in Nepal.
2.	A (1)The goods are manufactured in Nepal wholly from Nepalese materials or Indian materials or Nepalese and Indian materials; or (2) The goods involve a manufacturing process in Nepal that brings about a change in classification at four digit level of the Harmonised Commodities Description and Coding System, different from those, in which all the third country origin materials used in the manufacture of such goods are classified and the manufacturing process is not limited to insufficient working or processing as indicated in the illustrative list below: (i) Operations to ensure the preservation of articles in good condition during transport and storage (e.g., ventilation, spreading out, drawing, chilling, placing in salt, sulphur-dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts and like operations); (ii) Operations consisting or removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making up of sets), washing, painting, cutting up; (iii) Changes of packing and breaking up and assembly of consignments; (iv) Slicing, cutting, slitting, re-packing, placing in bottles or flasks or bags or boxes or other containers, fixing on cards or boards, etc., and all other packing or re-packing operations; (v) The affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on articles or their packaging; (vi) Mixing of articles, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in para 1 (b) of Protocol to the Article V of the Treaty of Trade between His Majesty's Government of Nepal and the Government of India to enable them to be considered as manufactured or produced or made in Nepal; (vii) Assembly of parts of an articles to constitute a complete article, (viii) A combination of two or more operations specified in (i) to (vii) above. B. The importer produces a certificate of origin in the Form indicated below, duly certified by an agency designated by His Majesty's Government of Nepal, in respect of the consignment, to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs , as the case may be, that such goods have in fact been manufactured in Nepal . **FORM OF CERTIFICATE OF ORIGIN** **Certificate of origin for exports free of customs duties under the Treaty of Trade between His Majesty's Government of Nepal and the Government of India** Reference No. _____ 1. Articles consigned from (Exporter's business name, address): 2. Articles consigned to (Consignee's name, address):

3. Means of transport and route:
4. Item number (HS Tariff Line):
5. Marks and number of package:
6. Description of Articles :
7. Gross weight or other quantity :
8. Number and date of Invoice together with value:
9. Ex-Factory price* of the articles manufactured in Nepal:

* 'Ex-factory price' means the price of the product at the time of the clearance from the factory gate.

10. (i) Whether articles are manufactured in Nepal under Para 1(a) of the Protocol to Article V of the Treaty of Trade
(Yes/No):

(ii) If articles are manufactured in Nepal under Para 1 (b) (i) and (ii) of the Protocol to Article V of the Treaty of Trade:

(A) CIF value of materials, parts or produce originating from Non-Contracting Parties (i.e. other than Nepal and India) at the point of entry in Nepal:-

(B) Value of materials, parts or produce of undetermined origin:-

11. Percentage of the sum of the value of col. 10(ii) (A) and (B) to the value of col. 9:

12. Declaration by the exporter:

The undersigned hereby declares that the details furnished above are correct, that the articles are produced in Nepal and that they comply with the Rules of Origin specified in the Treaty of Trade between His Majesty's Government of Nepal and Government of India.

_____
(Place and Date, Signature of authorised signatory)

13. Certification:

It is certified that the articles herein referred to are eligible for preferential treatment as per provisions of the Treaty of Trade between His Majesty's Government of Nepal and the Government of India. It is further certified that:

1. The articles have been manufactured in Nepal at a factory situated at _____ (name of place/district) by M/s. ___ (name of the company).
2. The articles involve manufacturing activity in Nepal and that the manufacturing activity satisfies the criteria given in the Protocol to Article V of the Treaty of Trade.
3. The articles in question are not products of third country origin.**

For His Majesty's Government of Nepal
(Place and date, Signature and Stamp of Certifying Authority)

**For the purpose of the above Item No. 3, the articles which have undergone a manufacturing process in Nepal as defined in the Protocol to Article V of the Treaty will not be treated as product of third country origin.

14. For official use of Indian Customs:

The consignment has been examined and allowed to be imported into India as it complies with the provisions as stipulated under Article V of the Treaty of Trade between His Majesty's Government of Nepal and Government of India.

_____
Signature and Seal of the
Certifying Authority.

Dated:
Place:

	C The products worked on or processed as a result of which the total value of materials, parts or produce originating from countries other than India or Nepal or of undetermined origin used - i) does not exceed seventy five per cent. of the ex-factory price of the articles imported in the time period beginning from the 6 th day of March, 2002, and ending on the 5th day of March, 2003; and ii) does not exceed seventy per cent. in any subsequent time period , which commences on the 6th day of March in a given calendar year and ends on the 5th day of March of the subsequent calendar year ; and iii) the final process of manufacture is performed in Nepal. *Explanation* - For the purpose of this notification, the value of materials, parts or produce originating from countries other than India or Nepal shall be the CIF value at the time of importation of materials, parts or produce, at the point of entry in Nepal, where this can be proven to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, or the earliest ascertainable price paid for the materials, parts or produce of undetermined origin in Nepal where the working or processing takes place.
3.	A The exemption shall apply only to a specified quantity of imports , not exceeding i) 100,000 MT in case of Vegetable fats (Vanaspati); ii)10,000 MT in case of Acrylic Yarn; iii)7,500 MT in case of Copper products falling under Chapter 74 and heading 85.44 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) and iv)2,500 MT in case of Zinc Oxide , in a time period , which shall commence from the 6th day of March of a given calendar year and end on the 5th day of March of the succeeding calendar year . *Illustration:* The first time period shall commence on the 6th day of March, 2002 and will end on the 5th day of March, 2003. B. The imports shall be permitted only through the land customs stations at Kakarbhitta/Naxalbari, Biratnagar/Jogbani, Birganj/Raxaul, Bhairwaha/Nautanwa, Nepalgunj/Nepalgunj Road and Mahendranagar/Banbasa. C. The importer shall follow the procedure as may be specified by the Government of India from time to time.

2. This notification shall come into force on the 16th day of April, 2002.

[F. No. 552/25/2002-LC(Pt)]
VIVEK PRASAD, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002

सं. 41/2002-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 282(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 85/98 - सीमा-शुल्क, तारीख 05 नवम्बर, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित माल को अनुज्ञेय होगी,-

(i) नेपाल में ऐसी लघु इकाइयों द्वारा विनिर्मित, जो 5 दिसम्बर, 2001 की नेपाल औद्योगिक नीति के अधीन लघु इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र हैं ;

(ii) भारत में आयातित ; और

(iii) इस अधिसूचना से संलग्न ऐसे किसी प्रमाणपत्र के अध्यधीन, जिसे हिज मेजेस्टी नेपाल की सरकार की ओर से किसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, जिसे आयात के समय प्रस्तुत किया जाना है ।"

2. यह अधिसूचना 16 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 552/25/2002-एलसी (पीटी)]
विवेक प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण सा0का0नि0 सं0 (अ), तारीख 5 नवम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2002

No. 41/2002-CUSTOMS

G.S.R. 282(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 85/98-Customs, dated the 5th November, 1998, namely:-

1. In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-
"2. The exemption contained in this notification shall be admissible to goods,-
i) manufactured in Nepal by small scale units which are eligible to be referred to as small scale units under the Nepal Industrial Policy of 5th December, 2001;
ii) imported into India; and
iii) subject to a certificate, as appended to this notification, duly signed by an authorized signatory on behalf of His Majesty's Government of Nepal, which is to be produced at the time of import."

2. This notification shall come into force on the 16th day of April 2002.

[F. No. 552/25/2002-LC(Pt)]
VIVEK PRASAD, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide G.S.R 656 (E) dated the 5th November, 1998.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2002

सं. 42/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 283(अ).— अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I,खंड 1, तारीख 7 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 28/1/2001—डीजीएडी, द्वारा यूएसए, थाईलैंड और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाली एक्रीलिक फाइबर पर अधिसूचना सं. 72/2001—सीमाशुल्क, तारीख 28 जून, 2001 द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क के चालू रहने के मामले में पुनर्विलोकन शुरू कर दिया है और पुनर्विलोकन अंवेषणों के परिणामों के लम्बित रहने तक, प्रतिपाटित शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1), (5) और (6) के साथ पठित सीमाशुल्क (पाटित वस्तु की पहचान, प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण की क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 72/2001–सीमाशुल्क, तारीख 28 जून , 2001 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क 24 अक्तूबर, 2002 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी जब तक कि ऐसे समय से पूर्व राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय सीमा बढाई नहीं जाती है या अधिसूचना प्रतिसंहृत नहीं कर दी जाती है ।"

[फा. सं. 354/48/2002–टी.आर.यू.]
जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 72/2001–सीमाशुल्क, तारीख 28 जून 2001, भारत के राजपत्र असाधारण, सा.का.नि. 487 (अ), तारीख 28 जून 2001 में प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2002

No. 42/2002-CUSTOMS

G.S.R. 283(E).—WHEREAS, the designated authority, *vide* notification published in the Gazette of India, Extraordinary, No. 26/1/2001-DGAD, dated the 7th August, 2001, Part I, Section 1, has initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on Acrylic Fibre falling under Chapter 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, USA, Korea RP and Thailand, imposed *vide* notification No. 72/2001-Customs, dated the 28th June, 2001 and has requested for suitable extension of anti-dumping duty, pending the results of investigations;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (5) and (6) of section 9A of the said Act, read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 72/2001-Customs, dated the 28th June, 2001, namely:-

In the said notification, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 24th day of October, 2002, unless the time limit is extended or the notification is revoked before such time, by notification published in the Official Gazette." .

[F. N. 354/48/2002-TRU]
G. D. LOHANI, Under Secy.

Footnote: The principal notification No. 72/2001-Customs, dated the 28th June, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 487 (E), dated the 28th June, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.